राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **101/2022 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री शंकर धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट के बाहर, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 17.01.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 21.09.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 05 दिनांक 04.01.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर से संबंधित होने से कार्यालय तहसीलदार, कोटड़ी के पत्रांक 06 दिनांक 13.10.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर प्रेषित कर दी गयी है एवं पुनः कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर के पत्रांक 01 दिनांक 04.01.2023 से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा